STATE - NOC

संख्या:   /माध्यमिक/2002

प्रेषक,

अभिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति बिहार, नई दिल्ली

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग   देहरादून   दिनांक 2 फरवरी, 2002

विषय: नैनीवैली स्कूल हल्द्वानी नैनीताल को सी०बी०एस०ई नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नैनीवैली स्कूल हल्द्वानी, नैनीताल को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण -पत्र दिये जाने में राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /अनुसूचितजनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की तिथि से उत्तरांचल शासन देहरादून द्वारा प्रदत्त तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जयेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ०मा०विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(अभिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या: 35 (1)/माध्यमिक/2002 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- शिक्षा निदेशक, माध्यमिक एवं बेसिक, उत्तरांचल, देहरादून।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल- नैनीताल ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक-नैनीताल।
4- संबंधित संस्था।

आज्ञा से,

(अभिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव